

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

क्रमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2017-18 /

दिनांक:

जिला आयुर्वेद अधिकारी,
समस्त

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत किराये के वाहन हेतु स्वीकृति/बजट आवंटन बाबत।
प्रसंग:- शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज. जयपुर के पत्रांक:
प.18(6)आयु./2015 दिनांक 26.05.17,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपको औषधालयो/चिकित्सालयो के निरीक्षण एवं प्रभावी मोनीटरिंग हेतु बजट मद 2210-02-101-08-01 उपमद 36-वाहन किराया प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती हैं। वाहन किराये पर रखने बाबत वांछित कार्यवाही यथा टेण्डर /अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ. 9(1)एफ.डी./1/ बजट/2015/दिनांक 15.07.15 में दिये गये बिन्दुवार निर्देशों एवं व्यवस्था के अनुसार अमल में लायी जावे। विभाग के पास सीमित प्रावधान होने से वाहन का उपयोग परिपत्र के बिन्दु 4 के अनुसार वित्तीय सीलिंग प्रति माह 10000 रु Hiring of vehicles on as and when required basis पर ही करें।

क्र.स.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	किराये पर वाहन लिये जाने की संख्या	राशि रु हजारों में
1.	2.	3.	4.
1.	जिला आयुर्वेद अधिकारी अजमेर	1	100
2.	जिला आयुर्वेद अधिकारी नागौर	1	100
3.	जिला आयुर्वेद अधिकारी भीलवाडा	1	100
4.	जिला आयुर्वेद अधिकारी टोंक	1	100
5.	जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर 'अ' क्षेत्र	1	100
6.	जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर 'ब' क्षेत्र	1	100
7.	जिला आयुर्वेद अधिकारी अलवर	1	100
8.	जिला आयुर्वेद अधिकारी भरतपुर	1	100
9.	जिला आयुर्वेद अधिकारी धौलपुर	1	100
10.	जिला आयुर्वेद अधिकारी दौसा	1	100
11.	जिला आयुर्वेद अधिकारी झुन्झुनू	1	100
12.	जिला आयुर्वेद अधिकारी सीकर	1	100
13.	जिला आयुर्वेद अधिकारी जोधपुर	1	100
14.	जिला आयुर्वेद अधिकारी बाडमेर	1	100
15.	जिला आयुर्वेद अधिकारी जैसलमेर	1	100
16.	जिला आयुर्वेद अधिकारी जालौर	1	100
17.	जिला आयुर्वेद अधिकारी सिरोही	1	100
18.	जिला आयुर्वेद अधिकारी पाली	1	100
19.	जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर	1	100
20.	जिला आयुर्वेद अधिकारी बांसवाडा	1	100
21.	जिला आयुर्वेद अधिकारी चित्तौडगढ़	1	100

22.	जिला आयुर्वेद अधिकारी झूगरपुर	1	100
23.	जिला आयुर्वेद अधिकारी राजसमन्द	1	100
24.	जिला आयुर्वेद अधिकारी कोटा	1	100
25.	जिला आयुर्वेद अधिकारी बून्दी	1	100
26.	जिला आयुर्वेद अधिकारी झालावाड	1	100
27.	जिला आयुर्वेद अधिकारी स0 माधोपुर	1	100
28.	जिला आयुर्वेद अधिकारी बांरा	1	100
29.	जिला आयुर्वेद अधिकारी बीकानेर	1	100
30.	जिला आयुर्वेद अधिकारी चुरू	1	100
31.	जिला आयुर्वेद अधिकारी हनुमानगढ	1	100
32.	जिला आयुर्वेद अधिकारी श्रीगंगानगर	1	100
33.	जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रतापगढ	1	100
34.	जिला आयुर्वेद अधिकारी करौली	1	100

1. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करे किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा अनावश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करे।
2. किराये के वाहन संबंधी कार्यवाही सा ले वि नियम एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत की जावे।
यह स्वीकृति /सहमति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी संख्या 151700577 दिनांक 23.05.2017 के अनुसरण में जारी की गयी है।

)
 (स्नेहलता पंवार)
 नि दे श क

क्रमांक:प.2 / लेखा-2 / बजट / 2017-18 / 10492-526 दिनांक: 30/5/17
प्रतिलिपि-

✓ प्रभारी कम्प्यूटर सैल को विभाग की वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।


वित्तीय सलाहकार